भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1619**

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

प्रमुख उर्वरकों के लिए आयात निर्भरता अनुपात

1619. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके मिश्रित) के लिए आयात पर निर्भरता का वर्तमान अनुपात क्या है और क्या इस निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को देखते हुए मंत्रालय द्वारा देश में उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय हरियाणा की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए वहां और अधिक उर्वरक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना में तेजी लाने की योजना बना रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2023-24 के उत्पादन और आयात के आंकड़ों के आधार पर, यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों के लिए आयात निर्भरता क्रमशः लगभग 18.31%, 56.46%, 100% और 13.15% है।

नई निवेश नीति (एनआईपी) के तहत, यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक 12.7 लाख मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता वाली 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने हेतु एक विशेष नीति का भी अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 भी अधिसूचित की है। इन प्रयासों ने मिलकर यूरिया उत्पादन को 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़ाकर 2023-24 के दौरान 314.09 एलएमटी के रिकॉर्ड यूरिया उत्पादन में मदद की है।

फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों (पीएण्डके) के मामले में, कंपनियां अपने कारोबार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरक, कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस सब्सिडी योजना के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है/अभिलेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शीरे (पीडीएम) से प्राप्त पोटाश, जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को बढ़ावा देने के लिए इसे 13.10.2021 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी, को खरीफ 2022 से लागू किया गया है ताकि मृदा को फॉस्फेटयुक्त या "पी" पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इन उपायों से वर्ष 2014-15 में 159.54 एलएमटी से पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन बढ़कर वर्ष 2023-24 में 182.85 तक हो गया है।

(ख): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए आयात को भी पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है।

तथापि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों के वितरण का अधिदेश राज्य सरकार को प्राप्त है।

(ग): प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मैसर्स एमडी बायोकोल प्राइवेट लिमिटेड, सिरसा, हरियाणा को हाल ही में पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उत्पादक के रूप में मान्यता दी गई है।
